



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0 / सा0प्र0 / 288 / 2022

दिनांक: 29 जनवरी, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री जय नारायण महाविद्यालय,

दुर्गीपुर, बेरुआरबारी,

बलिया।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर कला संकाय के अन्तर्गत हिन्दी विषय में प्रवक्ता तथा प्राचार्य के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 10 जनवरी, 2022 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में चयन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक: 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक: 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक: 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक: 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर प्राचार्य एवं प्रवक्ता के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखान्त विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी, तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	प्रवक्ता का नाम एवं पिता	पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नं०
1	डॉ० विजय कुमार पाण्डेय	श्री रजनीकान्त पाण्डेय	10.07.1970	पी. एचडी.	प्राचार्य	649828190282
2	श्री रिकू प्रसाद	श्री रवीन्द्र यादव	08.07.1989	नेट	प्रवक्ता हिन्दी	969645440106

अतः शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति तथा अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,


(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि: मा० कुलपति जी को सादर सूचनार्थ।


कुलसचिव

पता:-शहीद स्मारक, निकट सुरहा ताल, जिला-बलिया, उ०प्र० पिन कोड:-277001

Address:- Saheed Smarak, Near Surha Tal, Dist-Ballia, U.P. Pin Code-277001

Website:-www.jncu.ac.in E-mail :- jncuballia@gmail.com



जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे०एन०सी०यू०/आर०कैम्प(सा०प्र०)/2021

दिनांक: १३ जून 2021

सेवा में,

प्रबन्धक,

श्री जय नारायण महाविद्यालय,

दुर्गीपुर, बेरुआरबारी, बलिया

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत प्राचार्य एवं स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय में बी०एड० विभागाध्यक्ष एवं बी०एड० पाठ्यक्रम में प्रवक्ता के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक: 13.06.2021 के संदर्भ में सूचित है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में ध्यान समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक: 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक: 11 जनवरी, 2008, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक: 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक: 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर प्रवक्ता के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये चयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र.	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड नम्बर
1	डॉ० सनद कुमार दूबे	कैलाश नारायण दूबे	01.01.1968	पीएच.डी.	विभागाध्यक्ष/ प्राचार्य	429399721057
2	श्री प्रदीप कुमार तिवारी	श्री जगदीश चन्द्र तिवारी	24.03.1983	नेट	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	292182536167
3	श्री सुरेश कुमार सिंह	राम चन्द्र सिंह	20.03.1984	नेट	प्रवक्ता नैतिक विज्ञान	684156618163
4	श्री अखिलेश कुमार पाण्डेय	श्री राधेश्याम पाण्डेय	15.09.1985	नेट	प्रवक्ता मनोविज्ञान	909797496322
5	श्री देवेन्द्र कुमार	श्री राम शिवमणि शुक्ला	26.01.1984	नेट	प्रवक्ता शिक्षाशास्त्र	407523832267
6	श्री कृष्ण कुमार	श्री सिद्धनार्थ	07.06.1981	नेट	प्रवक्ता गणित (विज्ञान)	763955121463
7	श्री अम्बुज शर्मा	सुरेन्द्र चन्द्र शर्मा	11.07.1988	पीएच.डी.	प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा	861735400700
8	श्री मुन्दर	श्री राम फेर	31.12.1992	नेट	प्रवक्ता संगीत	589721623153
9	मो० शमसाद अंसारी	इश्तियाक अहमद अंसारी	01.07.1987	नेट	प्रवक्ता चित्रकला	529971025044

अतः शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति तथा अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध करायें। इसके साथ ही यह भी सूचित है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्द्रीयव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

(अहंश कुमार)

उप कुलसचिव(सम्बद्धता)

Jananayak Chandrashekhar University, Ballia

पत्रांक-जे0एन0सी0यू0/सा0प्र0/1721/2022

दिनांक: 30 जुलाई, 2022

सेवा में,

प्रबन्धक,
श्री जय नारायण महाविद्यालय,
दुर्गापुर, बैरुआरबारी,
बलिया।

विषय:-महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम के प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय देव:

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 23 जुलाई, 2022 के सदमें में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में घयन समिति की रास्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विचारोपरान्त कुलपति महोदया ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97 दिनांक: 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5699/सत्तर-2-2007-2(85)/97, दिनांक: 11 जनवरी, 2009, शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2(85)/97 दिनांक: 23 अगस्त, 2011 तथा शासनादेश संख्या-968/सत्तर-2-2013-18(99)/2013 दिनांक 30 मई, 2013 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सम्मुखस्थित विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान की है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिए महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये वयनित अभ्यर्थी अन्य महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये, तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र0	प्रवक्ता का नाम	पिता/पति का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	पदनाम	आधार कार्ड न0
1	श्री कामता प्रसाद	श्री परसादी राम	10.05.1976	नेट	प्रवक्ता बी0एड0	930419388991
2	श्री श्रीनिवास आजाद	श्री नरेश पाल	07.07.1990	नेट	प्रवक्ता बी0एड0	944646818208
3	श्री विपिन कुमार	श्री बच्चन लाल	04.07.1989	नेट	प्रवक्ता बी0एड0	922246269690
4	श्री हीरा लाल	श्री घनिका प्रसाद	21.07.1980	नेट	प्रवक्ता बी0एड0	747385562172

अतः शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अभ्यर्थी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पास्तपोट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति तथा अन्य अभिलेख सहित कुलपति, जननायक चन्द्रशेखर विश्वविद्यालय, बलिया को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अभ्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो, जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अभ्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (कन्ट्रीब्यूटरी प्रोविडेंट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति के उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,


(एस0एल0 पाल)
कुलसचिव

प्रतिलिपि मा0 कुलपति जी को सादर सूचनाार्थ।

/
कुलसचिव

प्रबन्धक,
प्रस्तावित श्री जय नारायण महिला महाविद्यालय,
दुर्गीपुर, बेरुआरबाटी,
बलिया।

विषय:-स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी0एड0 पाठ्यक्रम में विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र दिनांक 04.11.2017 के संदर्भ में सूच्य है कि आप द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिलेख, उपर्युक्त संदर्भित विषय के सन्दर्भ में धर्मन समिति की संस्तुति एवं प्रबन्ध समिति की स्वीकृति पर विद्यालयान्तर्गत कुलपति महोदय ने शासनादेश संख्या-2443/सत्तर-2-2000-2(85)/97, दिनांक 09 मई, 2000 एवं सहपठित शासनादेश संख्या-5899/सत्तर-2-2007-2 (85)/97, दिनांक 11 जनवरी, 2008 तथा शासनादेश संख्या-2218/सत्तर-2-2007-2 (85)/97 दिनांक 23 अगस्त, 2011 के आलोक में स्ववित्तपोषित योजनान्तर्गत संविदा के आधार पर उक्त विभागाध्यक्ष एवं प्रवक्ताओं के लिए अधोलिखित अभ्यर्थियों को उनके सामुदायिक विवरण के अनुसार पाँच वर्ष के लिए नियुक्त किये जाने की अनुमति प्रदान किया है। महाविद्यालय द्वारा प्रस्तुत अभिलेखों में यदि भविष्य में कोई त्रुटि पायी गयी तो उसके लिये महाविद्यालय प्रशासन पूर्णतः जिम्मेदार होगा। यदि ये घटित अन्धधी अन्ध महाविद्यालयों में कार्यरत/अनुमोदित पाये गये तो उनका अनुमोदन स्वतः निरस्त समझा जायेगा।

क्र०	नाम	पिता का नाम	जन्मतिथि	शैक्षिक अर्हता	विषय
1	डॉ० अखिलेश कुमार वर्मा	श्री रामदुलार वर्मा	16.11.1976	पी0एड0डी0	विभागाध्यक्ष बी0एड0
2	श्री शन् पुण्डरीक	श्री बृजमोहन पाण्डेय	30.11.1981	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
3	श्री अजीत कुमार यादव	श्री मदन सिंह यादव	15.11.1984	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
4	श्री रविशंकर सिंह	श्री सत्यनारायण सिंह	18.07.1985	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
5	श्री सुरेश कुमार सिंह	श्री मोके लाल	27.02.1988	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
6	श्री विनोद कुमार गुप्ता	श्री राम गुलाम गुप्ता	27.02.1988	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
7	श्री अमित कुमार सिंह	श्री अशोक कुमार सिंह	05.08.1985	नेट	प्रवक्ता बी0एड0
8	श्री संजय यादव	श्री राम नारायण यादव	27.03.1988	नेट	प्रवक्ता बी0एड0

अतः उपर्युक्त को शासनादेश के आलोक में नियुक्ति पत्र निर्गत करने से पूर्व सम्बन्धित अभ्यर्थी के मूल शैक्षणिक अभिलेख आदि देखकर नियुक्ति पत्र निर्गत करने का कष्ट करें। नियुक्ति पत्र की प्रति एवं संविदा प्रपत्र (अन्धधी एवं प्रबन्धक के स्वहस्ताक्षरित पासपोर्ट साइज के फोटोग्राफ सहित) की एक प्रति अनुमोदित प्रवक्ता को एवं एक प्रति अन्य अभिलेख सहित कुलसचिव, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, वाराणसी को पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर उपलब्ध कराये। इसके साथ ही यह भी सूच्य है कि नियुक्ति पत्र एवं अनुबन्ध पत्र में अध्यापकों को दिये जाने वाले वेतन आदि का स्पष्ट उल्लेख हो जिसकी एक प्रति महाविद्यालय में सुरक्षित रखी जाय। अध्यापकों के लिए अंशदायी भविष्य निधि (वन्द्रीव्यूटरी प्राविडेण्ट फण्ड) अनिवार्य रूप से लागू किया जाय तथा वेतन भुगतान बैंक के माध्यम से ही किया जाना सुनिश्चित किया जाय। शासनादेश की शर्तों के अनुसार ही महाविद्यालय के प्रस्ताव पर विश्वविद्यालय की स्वीकृति को उपरान्त संविदा नवीनीकृत की जा सकेगी।

भवदीय,

डॉ०(एस०एल० मौर्य)
कुलसचिव

प्रतिलिपि सूचना एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. सम्बन्धित कुलपति की सूचना हेतु।
2. महाविद्यालय के प्रशासनिक विभाग को सूचना हेतु।

डॉ०(एस०एल० मौर्य)
कुलसचिव